SOUCE : NAYA INDIA, NEW DELHI 10/09/2013

नए कंपनी कानून को मंजूरी

Posted On September 10th, 2013 By **नया इंडिया टीम**

नई दिल्ली। विशेषज्ञों के अनुसार नए कंपनी कानून में निवेशकों की सुरक्षा और उनके धन के समुचित उपयोग के बारे में बेहतर प्रावधान किए गए हैं। विधेयक के प्रावधान के अनुसार निवेशकों से जुटाई गई राशि को यदि कंपनी दूसरे काम में इस्तेमाल करती है तो उसे निवेशकों को कंपनी के शेयर बेचकर बाहर निकलने का विकल्प देना होगा।

संसद के पिछले सप्ताह समाप्त मानसून सत्र में राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद नये कंपनी कानून को संसद की मंजूरी मिल गई और राष्ट्रपति ने भी इसे अपनी संस्तुति दे दी है। यह कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लेगा। कंपनी सचिवों के संस्थान 'इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेकट्रीज आफ इंडिया (आईसीएसआई) के सचिव एम.एस. साहू ने 'भाषा' से कहा कि नये कंपनी कानून में ऐसा प्रावधान रखा गया है कि यदि कंपनियां निवेशकों से जुटाई गई राशि को बताये गए काम के बजाय कहीं और इस्तेमाल करती हैं तो उसे निवेशकों को बाहर निकलने का विकल्प देना होगा।

यह पूछे जाने पर कि कंपनी से अलग होने वाले निवेशकों को किस भाव पर शेयर बेचने का विकल्प मिलेगा? साहू ने कहा कि इस मामले में, सूचीबद्ध कंपनियों के लिए बाजार नियामक सेबी नियम बना रहा है, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के लिए मंत्रालय नियम तैयार कर रहा है।' साहू ने कहा कि कंपनी विधेयक 2012 में ऐसी भी व्यवस्था है कि यदि निवेशकों का एक वर्ग कंपनी के खिलाफ मामला दायर करता है (क्लास एक्शन) तो उसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हालांकि, सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में सेबी ने इस प्रकार की व्यवस्था पहले ही कर रखी है।

सेबी नियमों के तहत 1,000 निवेशक या फिर निवेशकों का कोई संगठन कंपनी के खिलाफ मामला दायर करता है तो उसका खर्च सरकार उठायेगी। नये कंपनी कानून की व्यवस्था के बाद कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ऐसे नियम तैयार कर रहा है। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 को कंपनी विधेयक को हरी झंडी दे दी, लोकसभा ने इसे 12 दिसंबर 2012 को पारित किया था।

इसके साथ ही इस महत्वपूर्ण विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। 29 अगस्त को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी और 30 अगस्त को इसे अधिसूचित कर दिया गया। आईसीएसआई के अध्यक्ष एस.एन. अनंतसुब्रमणियन ने कंपनी विधेयक पारित होने को एतिहासिक घटना बताया। विधेयक पारित होने के बाद उन्होंने कपनी सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि 8 अगस्त 2013 को तेजी से घटे घटनाक्रम में राज्यसभा ने कंपनी विधेयक.2012 को मंजूरी दे दी, इससे देश में 'आदेश और नियंत्रण के

शासन को पीछे छोड़कर स्व: नियमन की शुरआत का मार्ग प्रशस्त हुआ।' अनंतसुब्रमणियन ने कहा कि विधेयक ने लंबी यात्रा तय की और करीब दो दशक तक लम्बित रहा। आईसीएसआई के सचिव साहू ने कहा कि नये कंपनी कानून में शेयरधारकों को इलेक्ट्रानिक वोटिंग और दूर से भी मत देने का भी प्रावधान किया गया है। 'किसी शेयरधारक के पास यदि एक शेयर भी होगा, वह भी डिस्टेंस वोटिंग कर सकेगा।' कंपनी कानून में पहली बार कंपनियों के सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को शामिल किया गया है। इसके लिए भी व्यापक प्रावधान किए गए हैं।

नए कानून में कंपनियों को आम जनता से सीधे जमा पूंजी लेने पर भी रोक लगा दी गई है। अब कोई भी कंपनी उंची ब्याज दरों पर जनता से जमा राशि नहीं ले सकेगी। नए कंपनी कानून में हालांकि, विभिन्न धारायें और अध्याय कम किए गए हैं लेकिन इनमें बनने वाले नियम काफी व्यापक होंगे। उदाहरण के तौर पर कंपनियों में एक 'मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति' की बात है। यह व्यक्ति कौन होगा, किसे बनाया जा सकेगा इसके नियम काफी हो सकते हैं।